

2-2-78

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

429

प्रमाण-पत्र संख्या

19

आवेदन सं०

19

चौक श्री

Sudip Kumar

1424

1-2-18

मे भरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संख्यावाहों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संख्यावाहों और अवभारों के बारे में यहाँ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमिकियों में ता० 2005 19-10 से ता० Till Date.

तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यावाहों और अवभारों का पता चला

चला है अतः

लिखित 1

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza — Ushari

P.S. — Danapur Present P.S. Shahpur

Thana — No — 32

S. Plot No — 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 359, 360, 364, 368.

Khata No — 118, 64, 73, 87, 14, 93, 10, 16, 29, 42, 20, 20, 49, 52, 18, 36, 22,

Area — 598 Dismil (Approx)
Boundary

North — Mauza Ushari part of Plot No — 366 to 277

South — Siwana Sandalpur and Nashirpur

East — Part Plot No — 254

West — Mauza Ushari and part Plot No — 368, 361, 362, 339 & 340

Project — "MAAKAAR'S AQUACULTURE"

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ख्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों की छोड़ डक संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) *Bhandra*

(पदनाम): *UPC*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *शेखर*

(पदनाम): *L-2*

कार्यालय: *Danapur*

तारीख: *2-2-18*



टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार सही गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्वाचित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) को प्रचणियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। चिह्नित फ़ोस का भुगतान करने पर वाहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

☒ किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

☒ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की वृद्ध के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

ज्ञाप संख्या: *329*

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

Bank of India Retail Business Center Patna.

RBC/PAT/17-18

दिनांक *18/1/18*

के प्रकरण में अद्यवर्तित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

2-2-18

2-278

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

428

प्रमाण-पत्र संख्या

19

आवेदन सं०

19

पूँक श्री

Sudip Kumar

1423

T-2-18

मे भरे पास आवेदन दिया है कि निर्माकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संख्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जावे। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संख्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 19 to से ता० Till Date.

तक तलाशों की गयी और ऐसी तलाशों के बाद निम्न संख्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः

विद्युक्त।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauja — Nashirpur

P.S. — Demapur Present P.S. — Shabbur

Thana No — 42

S-Plot No — 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 278,

Khata No — 5, 18, 9, 14, 22, 27, 38, 36, 37, 32, 34, 8

Area — 419 Decimal (Approx)
Boundary

North — Siwana Usari and part plot No — 165 & 117

South — Branch Road and part plot No — 173, 175,

176 & 177

East — part plot No — 176, 179, 180, 184 & 162

West — Siwana Usari and Sandalpur part plot No — 164, 165, 173 & 174

Project — "SAAKAAR'S AQUIVITY"

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा योजना की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ इतक संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) *Bhondra*

(पदनाम): *U.D.A.*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *शेलेड*

(पदनाम): *L-2-C*

कार्यालय: *Danapur.*

तारीख: *2-2-18*

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-47 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) को प्रवर्तित देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वाहयों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

☒ किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

☒ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की खूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, निम्न निबंधक *Danapur-5-2-18*

साप संख्या *328*

आवेदक श्री *Sudip Kumar*

का ज़रूरी प्रमाण-पत्र द्वारा

Bank of India Real Estate Business Center Patna.

RBC/PAT/17-18

दिनांक *18/1/18*

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

2-2-18

19

आवेदन सं०

19

卷之四

Sudip Kumar

1422

1-2-18

इसलिए मैं इसका द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और आवेशों के बारे में बहो में और उससे सम्बद्ध

अनुक्रमणिका में ता. ०००५ १९७० से ता. Fall Date

तक तलाशी फाँ गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यवहारों और अवधारणों का पता चला-

पूरा है अतः

Testament

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्राप्ति के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauga - Sandalpur P.S - Parnapur, Present P.S - Shahrpur Thana - 43 S. Plot No - 8 & 17 Khata No - 29 & 61 Area - 107.285 Decimal (Approx) <u>Boundary</u> North - Siwana Usari South - Part plot No - 17, 10 & 8 East - Siwana Nashipur and Part plot West - Road Part plot No - 16							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसूली की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Bhandra*

(पदनाम): *U.D.C.*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *शैलेंद्र*

(पदनाम): *L-2-C*

कार्यालय: *Danapur*

तारीख: *2-2-18*



टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शंस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-59 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

☒ किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

☒ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की गूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, *327* *Danapur* *5-278*
ज्ञाप संख्या *327* दिनांक
आवेदक श्री *Sudip Kumar*

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा *Bank of India Retail Business Center Patna.*
RBC/Pat/17-18 दिनांक *18/1/18* के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है *V.K.M.*

निबंधन पदाधिकारी,

2-2-18